# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 123/2018** **दायरा दिनांक : 02.08.2018**

**उनवान**

1— मानकुंवर बाई पत्नी स्वर्गीय धूमसिंह उर्फ शम्भू सिंह, जाति राजपूत, निवासी मोरडा हाल निपानिया हाडा, जिला झालावाड़

2— श्रवण सिंह आयु 10 वर्ष पुत्र धूमसिंह उर्फ शम्भू सिंह, नाबालिग जर्ये वली माता मानकुंवर बाई पत्नी स्वर्गीय धूमसिंह उर्फ शम्भू सिंह, जाति राजपूत, निवासी मोरडा हाल निपानिया हाडा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

**बनाम**

1— उदय सिंह आत्मज प्यार सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मोरडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— सोपत बाई पत्नी उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मोरडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— दुल्हे सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मोरडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 23.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 53/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो विवादित आराजी खसरा नम्बर 321 एवं 335 की कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के बारे में निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खसरा नम्बर 321 व 335 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । उक्त आराजी में 1/3 हिस्से पर अपीलांट विधिवत रूप से काबिज है । ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में सम्पूर्ण 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी के मामले में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से परे निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी 3 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट क्रम 1 के पति एवं अपीलांट क्रम 2 के पिता के पिता उदय सिंह ने पुश्तैनी जायदाद के पैसे से रेस्पोडेंट क्रम 2 सोपत बाई के नाम खरीदी थी परन्तु तब से पक्षकार का 1/3 –1/3 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट के कब्जे के 1/3 हिस्से को छोड़कर ही स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना चाहिए । विवादित आराजी 1/3 हिस्से पर विधिवत रूप से अपीलांट का हक बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय को जवाबदेही एवं साक्ष्य का बवसर नहीं दिया गया ऐसी स्थिति में अपीलांट अपना पक्ष साबित करने से वंचित हो गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 स्थायी निषेधाज्ञा के बबत खसरा नम्बर 321, 335 की कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के 1/3 भाग तक निरस्त की जावे तथा इस 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी में से

अपीलांट को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर इसका भी बंटवारा कराने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 321, 335 के सम्बन्ध में चाहे गये अनुतोष के लिए पर्याप्त प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः अपील अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा